# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 126/2020
3. उनवान : सरकार जरिये श्री महेन्द्र सिंह नूनियां, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री रामकुमार यादव पुत्र श्री सूरजमल यादव निवासी ढाणी माधोवाली, तन प्रागपुरा, तह. कोटपूतली, जिला जयपुर।

4. निर्णय दिनांक : 27.09.2022
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) श्री दीपक चौहान अप्रार्थी की ओर से।

## निर्णय

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, तहसील शाहपुरा, श्री महेन्द्र सिंह नूनियां द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 02.10.2010 को पुलिस थाना प्रागपुरा जिला जयपुर द्वारा मुखबिर की सूचना पर अप्रार्थी के घर पर स्थित व्यवसाय स्थल पर जांच कार्यवाही की गयी। मौके पर खडी पिकअप गाडी नम्बर आरजे–32–जीए–4810 में 1540 लीटर मिलावटी डीजल से भरे सात लोहे के ड्रम, इसके अतिरिक्त 7 लोहे के ड्रम मय 1540 लीटर मिलावटी डीजल, एक लोहे के ड्रम में 180 लीटर लुबीकेन्ट ऑयल, मटमैला सफेद रंग का सूखा पाउडर का एक प्लास्टिक का कट्टा वजन 40 किग्रा., कत्थई रंग का का गीला पाउडर का एक प्लास्टिक कट्टा वजन 40 किग्रा., एक प्लास्टिक की सिन्टेक्स की टंकी में 95 लीटर मिलावटी डीजल, एक छोटी मोटर जिसके दोनो तरफ प्लास्टिक की पाईप बंधी है, एक प्लास्टिक का कीप, दो लोहे की चाबिया ड्रम खोलने की, 11 लोहे के खाली ड्रम जब्त किये गये। अप्रार्थी द्वारा नीले रंग के केरोसीन तेल में पाउडर व ऑयल मिलाकर अवैध डीजल बनाकर बेचा जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा डीजल की खरीद व संग्रहण के किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाये गये। ऐसी स्थिति में फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण, सुपुर्दगीनामा, एफ.आई.आर. आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 08.03.2011 को अप्रार्थी की ओर से अभिभाषक श्री दीपक चौहान ने उपस्थिती दी। अप्रार्थी/अभिभाषक द्वारा कोई जवाब आदिनांक तक पेश नहीं किया गया। दिनांक 14.10.2010 को अप्रार्थी ने स्वयं को जब्त गाडी का मालिक बताते हुये सुपुर्दगीनामे/जमानतनामे पर रिलीज करने का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें रुपये 3,00,000/– का जमानतनामा पेश करने पर दिनांक 28.10.2010 को माननीय न्यायालय द्वारा जब्त गाडी के मोचन आदेश(रिलीज आर्डर) जारी किये गये। तत्पश्चात प्रकरण लम्बे समय तक नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी। परन्तु अप्रार्थी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ ना ही कोई जवाब पेश किया गया और ना ही बहस की गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त वस्तुओं को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 27.09.2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि दिनांक 02.10.2010 को जब्त सामान की सहायता से नीले रंग के केरोसीन तेल में पाउडर व ऑयल मिलाकर अवैध डीजल बनाकर बेचा जा रहा था। अप्रार्थी ने डीजल की खरीद व संग्रहण के किसी प्रकार के दस्तावेज पेश नही किये। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त सामग्री के संबंध में कोई क्लेम नही किया गया है। दौराने पूछताछ अप्रार्थी ने बताया कि उसके द्वारा नीले रंग के केरोसीन तेल में पाउडर व ऑयल मिलाकर अवैध डीजल बनाकर बेचा जा रहा था। जब्त सामान एवं अप्रार्थी के बयानों से अवैध कारोबार करना पुष्ट होता है। अत: उक्त कृत्य राजस्थान खाद्य व अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976, केरोसीन (उपयोग व निर्बन्धन और अधिकतम कीमत नियमन) आदेश 1990 के खण्ड 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा जब्त 3172.750 लीटर मिलावटी डीजल मय लोहे के 14 ड्रम(नमूने लेने के पश्चात), 177.50 लीटर लुबिकेन्ट ऑयल मय ड्रम(नमूने लेने के पश्चात), एक पिकअप गाडी नम्बर आरजे–32–जीए–4810 व अन्य उपरोक्त शेष वर्णित सामान को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर, ग्रामीण को निर्देश दिये जाते है कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर